

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-२/४५००२/प्रधाना./स्था. /२०१९ दिनांक २९.०९.२०१९ द्वारा श्रीमती मानवी सक्सेना, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेडी गोकुलपुरा (KHEDI GOKULPURA), जिला जयपुर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चांदजी की खेडी (CHAND JI KI KHERI) जिला भीलवाडा किया गया, जिसके विरुद्ध श्रीमती मानवी सक्सेना द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या २९३०/२०१९ श्रीमती मानवी सक्सेना बनाम राजस्थान सरकार व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या २९३०/२०१९ में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक २५.१०.२०१९ द्वारा अपीलार्थी को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार एक सकारण अख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को प्रदान किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपना स्थानान्तरण सांगानेर, चाकसू या जयपुर जिले में पदस्थापन किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय तथा राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी द्वारा चाहे गए विद्यालय में प्रधानाचार्य का पद रिक्त नहीं होने के कारण उन्हें अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है। अपीलार्थी राज्य सेवा के अधिकारी हैं और उन्हें राज्य हित/छात्र हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए.आई.आर. १९९३ एस.री. २४८६ पंजाब राज्य बनाम जोगेन्द्र सिंह दत्त प्रकरण में यह प्रतिपादित किया गया है कि यह नियोजक का परमाधिकार है कि वह राज्य सेवा के किस कार्मिक को कब और कहां पदस्थापित करे।

उपर्युक्त तथ्यों, एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी श्रीमती मानवी सक्सेना, प्रधानाचार्य का अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हों।

(निथमल डिलेल)

आई ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-२/अपील/मानवी सक्सेना/२९३०/२०१९/७

दिनांक २९.११.२०१९

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/अजमेर संभाग।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर/भीलवाडा।
- जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर/भीलवाडा।
- जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
- सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
- सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
- श्री राजेश कुमार निश्चल, सम्बन्धित प्रधानाचार्य।
- निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)